सं.फा.7/61/2017-ले.क्र.
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय
94, संसद भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 03.08.2022

विषय:- एक पुरानी खराब एंबेसडर स्टाफ कार DL8CX4417 के निपटान के संबंध में।

नीचे उल्लिखित एक खराब गाड़ी के 'जैसी है जहां है' के आधार पर निस्तारण के लिए प्रतिष्ठित फर्मों से एकल बोली प्रणाली के माध्यम से नई कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र.सं.	वाहन की पंजीकरण संख्या	मेक मॉडल / वर्ष
1	DL 8 CX 4417 एंबेसडर ग्रैंड 1800 ISZ सफ़ेद रंग	पेट्रोल 2012 मॉडल

2 निविदा संबंधी दस्तावेज जैम पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली संबंधी दस्तावेज, वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में प्रत्येक वाहन के लिए 5000/- रुपये (पांच हजार रुपये केवल) की बयाना राशि के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोटेशन दिनांक **23.08.2022** को अपराह्न 2:00 बजे तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। अनुबंधित तारीख एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशनों को दिनांक 24.08.2022 को पूर्वाहन 10:00 बजे कमरा नंबर 94, संसद भवन में खोला जाएगा।

3. बोली इस निविदा दस्तावेज नोटिस के साथ संलग्न प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक के रूप में 5000/- रुपये (पाँच हजार रुपये केवल) की बयाना राशि (मूल रूप में) के अतिरिक्त वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में कोई भौतिक कागज-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे।

4. इस टेंडर के माध्यम से विक्रय को निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार शासित किया जाएगा: -

क. इच्छुक पक्षकार अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों (पैन कार्ड, फर्म के जीएसटी पंजीकरण, पते के प्रमाण की प्रति) के साथ इस टेंडर दस्तावेज के साथ संलग्न प्रोफार्मा में वाहनों के लिए अपनी उच्चतम कीमतें अलग-अलग प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. वाहन का निस्तारण कड़ाई के साथ 'जैसा है जहां है' के आधार पर किया जाएगा और इस विभाग द्वारा वाहन की उपयोगिता या गुणवत्ता की कोई गारंटी या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। दिनांक 17.08.2022 और 18.08.2022 को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच संसद ग्रंथालय, संसद भवन, नई दिल्ली में वाहन की स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किया जा सकता है।

ग. यदि इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत उच्चतम निविदाकार/सफल निविदाकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर विक्रय मूल्य जमा करने में विफल रहता है तो उसकी बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यदि किसी निविदाकार द्वारा प्रस्ताव को वापस लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

घ. सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के लिए संविदा मिलने के तीन कार्य दिवस के भीतर वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिक्री की कुल राशि जमा करनी अपेक्षित होगी।

ङ. सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) की बयाना राशि बिक्री की राशि की वसूली और बोलीदाता के नाम पर वाहन के पंजीकरण के अंतरण के बाद ही जारी की जाएगी। निर्धारित समय सीमा में बोली का भुगतान करने में विफल रहने वाले बोलीदाताओं की बयाना राशि जब्त हो जाएगी। इस मंत्रालय द्वारा इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बयाना राशि को वेतन एवं लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली द्वारा स्वीकार की गई बिक्री राशि में समायोजित नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) की बयाना राशि बिक्री प्रक्रिया के सफल समापन के बाद ही जारी की जाएगी।

च. सफल बोलीदाता द्वारा अपनी आवासीय स्थिति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य (व्यक्ति के मामले में राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र और फर्मों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र) प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात ही बेचे गए वाहन की सुपुर्दगी की व्यवस्था की जाएगी।

छ. बेचे गए वाहन को सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा धनराशि जमा करने के पश्चात 48 घंटे के भीतर अपने खर्च पर पर हटाया जाएगा। विभाग द्वारा किसी सहायता/परिवहन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। संसद ग्रंथालय, संसद भवन परिसर से वाहन को छुट्टी के दिन (शनिवार, रविवार या अन्य दिन) निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ज. सफल बोलीदाता वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र अपने खर्च पर यथाशीघ्र अपने नाम अंतरित कराने के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस संबंध में बोलीदाता की ओर से किसी प्रकार की चूक के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

झ. बोली प्रस्तुत करने के बाद अपने प्रस्ताव को रद्द करने, वापस लेने या निरस्त करने वाली फर्मों की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ञ. इस मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी टेंडर को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

ट. बोलीदाता को फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम/पिता का नाम, पूरा डाक पता, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सूचित करना अपेक्षित है।

ठ. विवाद, यदि कोई हों, केवल दिल्ली के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

ड. यदि उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म बोली का भुगतान करने में विफल रहती है तो संविदा रद्द कर दी जाएगी और उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में, अगले उच्चतम बोली लगाने वाले पात्र टेंडरदाता (एच-2 बोली लगाने वाला पक्षकार) को बोली पूरी करने का अवसर दिया जाएगा बशर्ते कि वह एच-1 पक्षकार द्‌वारा दी गई कीमतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। किसी भी विवाद के मामले में, मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

ढ. टेंडर फार्म पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्‌वारा स्याही से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

ण. कोई भी असत्य या गलत जानकारी प्रस्तुत करने और उसके परिणाम या हानि के लिए केवल टेंडरदाता फर्म जिम्मेदार होगी।

त. कोटेशन अनुबंध के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भवदीय,

ह./-

(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 011-23034899
ईमेल: mukesh.kumar.mopa@nic.in

प्रतिलिपि:-

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. एनआईसी को मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
3. सीपीपीपी पोर्टल।

<u>अनुबंध</u>

निराकृत वाहन के निपटान हेतु दरों की पेशकश के लिए प्रोफार्मा

बयाना राशि:
डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण:
दिनांक:
बैंक शाखा:
बोलीदाता का नाम
पता:
टेलीफोन/मोबाइल नंबर:
पैन (प्रतिलिपि संलग्न):
जीएसटी नंबर (प्रतिलिपि संलग्न):

*(पता प्रमाण (राशन कार्ड, पंजीकरण प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र की सत्यापित प्रति) सहित पूरा होना चाहिए। बोलीदाता दिए गए पते पर पत्रादि प्राप्त करने के लिए सदैव उपलब्ध होना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित वाहन के लिए मैं/हम मेरी/हमारी उच्चतम कोटेशन (समेकित) निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करते हूं/हैं:-

क्रमांक	पंजीकरण संख्या	मॉडल/मेक	पेशकश की गई कुल राशि (18% अतिरिक्त जीएसटी शामिल)
1.	DL 8 CX 4417	एंबेसडर ग्रैंड 1800 आईएसजेड सफ़ेद रंग पेट्रोल 2012	

मैंने/हमने प्रस्ताव के नियमों और शर्तों को, विशेष रूप से बयाना राशि के संबंध में, ध्यान से पढ़ लिया है और मैं/हम इनका अक्षरशः पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं। प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

मैं/हम दिनांक 09.06.2022 के टेंडर नोटिस सं.7/61/2017-ले.क्र. में यथा उल्लिखित सभी या किसी भी नियम और शर्तों का, जो मुझे/हमें एक सफल बोलीदाता घोषित किए जाने पर मेरे/हमारे और संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एक संविदा में परिवर्तित होंगी, पूर्ण या आंशिक रूप से पालन करने में विफल रहता हूं/हैं तो मैं/हम बयाना राशि को जब्त कर लिए जाने के लिए सहमत हूं/हैं।

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/हैं कि वाहन (वाहनों) का उपयोग केवल वास्तविक/ वैध प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

नाम..............................
हस्ताक्षर.........................
स्थान..............................
तारीख..............................